



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 27.07.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 748/22 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 27.07.2022 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी श्री वासिद पुत्र यामीन निवासी पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्त 1. शहनवाज पुत्र अख्तर 2. यामीन पुत्र अख्तर 3. मुजी पुत्र अख्तर 4. अफजाल पुत्र महबूब निवासीगण मौ0 गायत्रीपुरम पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत द्वारा



वादी के भाईयो के साथ गाली-गलौच कर, जान से मारने की धमकी देते हुए लाठी-डन्डो से मारपीट कर, सिर पर पंच से वार किया जिसमे वादी का भाई शहीद बेहोश होकर गिर गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 748/22 धारा 323/504/506/308 भादवि पंजिकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 748/22 धारा 323/504/506/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- मुजम्मिल उर्फ मुजी पुत्र अख्तर निवासी मौ0 गायत्रीपुरम कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री प्रियवृत्त आर्य थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 885 हरिओम थाना कोतवाली बागपत।